प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैरइरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास, अर्थदंड की सजा

दिनांकः 23.01.2023

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 23.01.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारणपूर्ण कर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 21,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना खैराबाद से सम्बन्धित मु0अ0सं0 139/15 धारा 304/323 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT बनाम बलवन्त यादव पुत्र भूधर निवासी उमरापुर थाना मछरेहटा सीतापुर में खैराबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 23.01.2023 को विचारणपूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (SC/ST ACT) सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध उपरोक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304/323 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT में आजीवन कारावास व 21,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।

....